□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

□□□□ि□□ **प्रश्न** □ख□□ : 108

28 □□, 2019 □□ □□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

सामुदायिक स्वास्थ्य कद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य कद्र

*108. श्रीमती किरण खेरः
श्री निहाल चन्दः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों (सीएचसी) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों (पीएचसी) को चंडीगढ़ और पंजाब सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वतमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्यों से नये सीएचसी तथा पीएचसी खोलने के लिये प्रस्ताव मिले हो, यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा देश म ऐसे सीएचसी/पीएचसी को स्थापना हेतु जारी को जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है;

(ग) क्या उक्त कद्रों म डॉक्टरों/नर्सों सहित आधारभूत अवसंरचना का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये ह;

(घ) क्या सरकार का समस्त सीएचसी/ पीएचसी को आईएसओ प्रमाणित वैलनेस सटरों के रूप म उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईएसओ प्रमाणित सीएचसी/पीएचसी को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वतमान संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएचसी/सीएचसी म सेवाओं को गुणवत्ता म सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गये ह/उठाये जाने का विचार है?

□त□□

स□□स्थ्य □□ □ि□□□□ □ल□□ण राज्य मंत्री (श्री □□श्वि□□ □□□□□ □□□)□

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 28 □□, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □□108 □□ □त□□ □' □□ले□□□□ □□□□□

(क): राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) पोटल पर अपलोड किए गए मई 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार, चंडीगढ़ और पंजाब सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों (पीएचसी) को वतमान स्थिति अनुलग्नक I म दी गई है।

(ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण अवसंरचना और नए सीएचसी और पीएचसी खोलने सहित अन्य सुविधा कद्रों म सुधार लाना और योग्यता प्राप्त चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन लगाने के लिए सहायता प्रदान करना संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों का दायित्व है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पंजाब सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए तकनीको और वित्तीय सहायता प्रदान को जाती है। यह सहायता राज्यों द्वारा अपनी कायक्रम कायान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म इनके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर कायवाही के रिकॉड (आरओपी) के रूप म प्रदान को जाती है। पंजाब सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के आरओपी का ब्यौरा आम जनता को जानकारी म रखा गया है और यह https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=449&lid=53 पर उपलब्ध है।

पीएचसीऔर सीएचसी को नए सिरे से बनाने या इनके नवीकरण सहित अस्पताल सुदृढ़ीकरण के लिए 2016-17 से 2018-19 तक को विगत तीन वर्षों को अवधि के दौरान अनुमोदित निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक II और III पर दिया गया है। सभी अनुमोदित क्रियाकलापों के लिए निधियां एकमुश्त जारी को जाती ह।

(ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। जन स्वास्थ्य क्षेत्र म चिकित्सकों / नर्सों को कमी राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न है जो उनको नीतियों और परिस्थितियों पर निभर करती है। तथापि, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिको (आरएचएस) 2018 के अनुसार जन स्वास्थ्य सुविधा कद्रों म चिकित्सकों और नर्सिग स्टॉफ को कमी है और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार चिकित्सकों और नर्सिग स्टाफ को उपलब्धता/ कमी अनुलग्नक IV से IX म दी गई है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, योग्यता प्राप्त चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्धता सुनिश्चित करने का पहला दायित्व राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों का है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य परिचया प्रणालियां सुदृढ़ करने के लिए इन्ह वित्तीय और तकनीको सहायता प्रदान को जाती है जिसम राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कायक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों को जुटाने के लिए सहायता भी शामिल ह।

सरकार ने विशेष तौर पर ग्रामीण/ दूरदराज के क्षेत्रों म विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ समेत सभी तरह के चिकित्सा स्टाफ को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए ह। इन प्रयासों म निम्नलिखित शामिल ह:

i. कठिन क्षेत्र भत्ते के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना और ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों म सेवारत स्टाफ के लिए आवासीय क्वाटर प्रदान करना।

ii. राज्यों को जन स्वास्थ्य सुविधा कद्रों म विशेषज्ञों को नियुक्ति करने के लिए लचीले मानदंड अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इनम विशेषज्ञ सेवाओं को 'अनुबंध पर लेना' और 'अनुबंध पर भेजना', '□□ □□□□,□□ □□□पहलों के तहत विशेषज्ञ को वांछित पारिश्रमिक प्रदान करने, अपेक्षित विशेषज्ञों के प्रावधान के लिए निजी मेडिकल सुविधा कद्रों को पैनलबद्ध करने आदि के लिए विभिन्न तंत्र शामिल ह।

iii. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे तैनाती और स्थानांतरण को पारदर्शी नीतियां अमल म लाएं और डॉक्टरों को युक्तिसंगत तैनाती सुनिश्चित कर। इसके अलावा, राज्यों को समय समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए भी समझाया जाता है।

एनएचएम के तहत को गई उपयुक्त पहलों के अलावा, सरकार ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों को संख्या बढ़ाने के लिए अन्य उपचारात्मक कदम भी उठाए ह। ब्यौरे नीचे दिए गए ह:-

- देश भर म सभी मेडिकल कॉलेजों म अध्यापक से छात्र के अनुपात को सभी एमडी/एमएस विषयों के लिए 1:1 से बढ़ाकर 1:2 और एनेस्थेसिया, फोरसिक मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और साईकियाट्री विषयों म 1:1 से बढ़ाकर 1:3 कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा निधिपोषित सरकारी मेडिकल कालेजों म एमडी/ एमएस कोर्सों म प्रोफेसर के लिए अध्यापक: छात्र अनुपात सभी क्लिनिकल विषयों म 1:2 से बढ़ाकर 1:3 और यदि एसोसिएट प्रोफेसर किसी यूनिट का प्रमुख है तो उसके लिए अनुपात को 1:1 से बढ़ाकर 1:2 कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश म विशेषज्ञों को संख्या बढ़ेगी।
- फैकल्टी को कमी को दूर करने के लिए डीएनबी अहता को फैकल्टी के रूप म नियुक्ति के लिए मान्य कर दिया गया है।
- एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम दाखिला क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 करना।
- मेडिकल कॉलेजों म अध्यापकों/डीन/प्रिंसीपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा विस्तार/पुन: नियुक्ति के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 70 वष करना।
- मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि, संकाय, स्टाफ, बिस्तर/ बिस्तरों को संख्या और अन्य अवसंरचना से जुड़े मानकों म ढील
- नए पीजी कोर्सों को शुरू करने/ पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन।
- एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/ कद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 पी(सी) के तहत अधिसूचित किए अनुसार महानगरों म मेडिकल कॉलेज को स्थापना के लिए भूमि को आवश्यकता संबंधी शत को समाप्त कर दिया गया है।
- देश के अल्पसेवित जिलों को प्राथमिकता देते हुए जिला/ रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना करना। कद्र द्वारा प्रायोजित स्कोम 'जिला रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना' के तहत कद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पूर्वात्तर/ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात म और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात म निधि के वितरण के साथ 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों म कुल 82 जिलों को नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना के लिए चिह्नित किया गया है और अनुमोदित किया गया है, इनम से 39 कायरत हो चुके ह।
- मंत्रिमंडल ने पीएमएसएसवाई के चरण I के तहत पहले संस्वीकृत 06 एम्स के अलावा 15 और नए एम्स को स्थापना को मंजूरी दी है।

(घ) और (ङ): सभी सीएचसी/ पीएचसी को आईएसओ प्रमाणित आरोग्य कद्रों के रूप म उन्नत करने और करवाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहों है। तथापि, 1.5 लाख स्वास्थ्य उप कद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों को दिसंबर, 2022 तक स्वास्थ्य और आरोग्य कद्रों म बदला जाना है। आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्य कद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया प्रदान को जाएगी जिसम संवर्द्धनात्मक, निवारक, उपचारात्मक, उपशामक (पीड़ाहारी) और पुनवास सेवाएं शामिल ह। एबी-एचडब्ल्यूसी के माध्यम से

सेवाओं को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने को परिकल्पना को गई है। इन सेवाओं म प्रतिरक्षण और संचारी रोगों सहित मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के लिए पहले से प्रदान को जा रही सेवाओं से अलग योग जैसी स्वास्थ्य संवर्द्धनात्मक और आरोग्य क्रियाकलापों के साथ साथ गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल शामिल है।

लाभार्थियों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करनेके लिए, निशुल्क अनिवाय औषधियां और नैदानिक सेवाएं भी एबी-एचडब्ल्यूसी के माध्यम से प्रदान करने का प्रावधान किया जा रहा है। अभी तक 52,744 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य कद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लिए अनुमोदन दिया गया है। दिनांक 17.06.2019 को स्थिति के अनुसार 19,282 प्रचालनरत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य कद्रों(एबी-एचडब्ल्यूसी) का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक X म दिया गया है।

पीएचसी और सीएचसी म सेवाओं को गुणवत्ता म सुधार लाने सहित स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एनएचएम के तहत सीएचसी और पीएचसी म सेवाओं को गुणवत्ता म सुधार लाने के लिए किए गए अन्य प्रयास निम्नानुसार ह:

1. राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कायक्रम (एनक्यूएपी) को प्रारंभ किया गया है जिसके तहत,विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा कद्रों के लिए गुणवत्ता मानकों को परिभाषित किया गया है और इन मानकों के सापेक्ष इन सुविधा कद्रों का मूल्यांकन करके इन्ह प्रमाणित किया गया है।
2. गुणवत्ता आश्वासन समितियों का गठन राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, इन समितियों के संचालन के लिए और संबंधित कार्यों एनक्यूएपी के अंतगत गुणवत्ता मूल्यांकन, काय योजना तैयार करना और गुणवत्ता प्रमाणन म स्वास्थ्य परिचया सुविधा कद्रों को मदद करना, के निष्पादन के लिए विशिष्ट मानव संसाधन का प्रावधान किया गया है।
3. कद्र सरकार ने स्वच्छता, स्वस्थता, रखरखाव (अपकोप) संक्रमण नियंत्रण के तरीकों और कचरा प्रबंधन पद्धतियों म सुधार लाकर सरकारी अस्पतालों को कायापलट के लिए 'कायाकल्प' नामक पुरस्कार योजना शरू को है। पीएचसी,सीएचसी, जिला अस्पतालों और कद्र सरकार के अस्पतालों के सभी सुविधा कद्रों का परिभाषित मानदंडों के सापेक्ष मूल्यांकन किया जाता है। सर्वात्तम निष्पादन करने वाले सुविधा कद्रों को वार्षिक पुरस्कार दिए जाते ह। वित्त वष 2018-19 म, कायाकल्प के तहत 26,000 से अधिक सुविधा कद्रों ने कायाकल्प के अंतगत भाग लिया और इनम से 4481 सुविधा कद्रों (395 जिला अस्पताल, 1139 सीएचसी/एसडीएच, 2470 पीएचसी, 477 शहरी स्वास्थ्य सुविधा कद्रों ने 70 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए) को कायाकल्प पुरस्कार दिए गए।
4. राज्यों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा कद्रों म एनएचएम निशुल्क डायग्नोस्टिक सेवा पहल और एनएचएम निशुल्क औषधि पहल को क्रियान्वित करने के लिए सहायता प्रदान को जाती है।
5. चिकित्सा उपस्करों के काय संचालन म सुधार लाने के लिए जैव चिकित्सा उपस्कर प्रबंधन और अनुरक्षण कायक्रम (बीएमएमपी) के लिए प्रचालन संबंधी दिशा निदशों को राज्यों के साथ साझा किया गया है।
6. बच्चे के जन्म से जुड़ी स्वास्थ्य देखभाल को गुणवत्ता म सुधार लाने के लिए लक्ष्य कायक्रम चलाया गया है।
7. विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों का नियमित रूप से क्षमता निमाण किया गया है।

*****

□□□ग□□-I

□□ म प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कद्रों को संख्या

	□ज□ / □□ □ज□ क्षेत्र	□□□□□ □ो □ख□□	□□□□□ □ो □ख□□
क्र.□□			
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	27	4
2.	आंध्र प्रदेश	1499	198
3.	अरुणाचल प्रदेश	121	63
4.	असम	1006	178
5.	बिहार	2012	63
6.	चंडीगढ़	47	2
7.	छत्तीसगढ़	817	164
8.	दादरा और नगर हवेली	9	2
9.	दमन और दीव	4	2
10.	दिल्ली	537	25
11.	गोवा	31	6
12.	गुजरात	1807	374
13.	हरियाणा	471	126
14.	हिमाचल प्रदेश	516	95
15.	जम्मू और कश्मीर	395	87
16.	झारखंड	343	176
17.	कनाटक	2544	207
18.	केरल	935	230
19.	लक्षद्वीप	4	3
20.	मध्य प्रदेश	1313	324
21.	महाराष्ट्र	2637	433
22.	मणिपुर	90	17
23.	मेघालय	142	28
24.	मिजोरम	65	10
25.	नगालड	134	21
26.	ओडिशा	1375	384
27.	पुदुच्चेरी	40	4
28.	पंजाब	521	146
29.	राजस्थान	2459	595
30.	सिक्किम	25	2
31.	तमिलनाडु	1892	400
32.	तेलंगाना	775	82
33.	त्रिपुरा	113	22
34.	उत्तर प्रदेश	3403	679
35.	उत्तराखंड	273	69
36.	पश्चिम बंगाल	1378	405
	कुल	29760	5626

स्रोत: एचएमआईएस पोटल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़े: मई, 2019 को स्थिति के अनुसार।

□□त□ □□ 2016-17 □□2018-19 □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □स□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□/ □□□□□□ □□ स□□□□□ □□□□□□ □□ज□/ □□ □□ज□ क्षेत्रवार अनुमोदित निधियों को दशाने वाला विवरण

आंकड़े लाख रूपए म

क्र.□□	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		सीएचसी	पीएचसी	सीएचसी	पीएचसी	सीएचसी	पीएचसी
□. □च□ □□□□ □□□□ □□ज□				□□□□ि□□ □□□□□□□			
1	बिहार	570.06	2914.00	7563.00	500.00	8808.00	10298.85
2	छत्तीसगढ़	1141.35	702.06	79.38	966.86	328.64	3217.94
3	हिमाचल प्रदेश	138.69	285.77	312.30	625.95	437.22	730.80
4	जम्मू और कश्मीर	1244.87	260.18	240.71	949.01	140.00	745.00
5	झारखंड	0.00	1656.00	0.00	1242.00	0.00	1242.00
6	मध्य प्रदेश	3442.00	1806.50	4757.00	2578.00	241.50	0.00
7	ओडिशा	4392.69	493.04	4509.80	135.00	7457.00	740.00
8	राजस्थान	4229.15	11350.70	8570.10	10146.00	5944.93	7474.12
9	उत्तर प्रदेश	7330.20	387.50	3614.40	387.50	0.00	0.00
10	उत्तराखंड	257.79	50.14	0.00	0.00	1060.00	16.00
	उप कुल	22746.80	19905.89	29646.69	17530.32	24417.29	24464.71
□. □□ित□□ □□ज□							
11	अरुणाचल प्रदेश	552.37	651.43	139.35	445.54	294.43	356.06
12	असम	2858.46	1609.54	3037.25	1707.85	1975.00	924.33
13	मणिपुर	233.07	448.44	0.00	0.00	0.00	126.70
14	मेघालय	3.00	10.00	60.00	0.00	50.00	9.00
15	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	नगालड	0.00	77.09	32.83	107.37	33.91	102.30
17	सिक्किम	40.00	50.00	10.12	262.32	0.00	307.63
18	त्रिपुरा	0.00	650.00	711.24	3387.26	335.00	2140.50
	उप कुल	3686.90	3496.50	3990.79	5910.34	2688.34	3966.52
□. □□+ □च□ □□□□ □□□□ज□							
19	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	413.44	0.00
20	गोवा	1.85	0.00	12.00	10.50	0.00	1.50

21	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	कनाटक	60.00	2561.98	1424.50	4652.50	1255.52	6368.50
24	केरल	190.00	392.00	104.00	428.00	26.00	538.00
25	महाराष्ट्र	50.00	3438.77	175.00	9562.02	1394.05	9955.00
26	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	2904.00	2140.00	261.00	1200.00	1800.00	651.15
28	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	630.00
29	पश्चिम बंगाल	177.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप कुल	3382.85	8560.25	1976.50	16053.02	4889.01	18144.15
□. □□□□ज□/ □□ □ज□ क्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.50	28.60	1.00	16.00	0.00	8.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुदुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप कुल	7.50	28.60	1.00	16.00	0.00	8.00
	कुल योग	29824.05	31991.24	35614.98	39509.68	31994.64	46583.38

1. उपयुक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई एफएमआर रिपोट के अनुसार ह।

2. एसपीआईपी का अथ है राज्य कायक्रम कायान्वयन योजना।

3. उपयुक्त आंकड़ों म अस्पताल सुदृढ़ीकरण और सीएचसी और पीएचसी के तहत नए निमाण/ नवीकरण से संबंधित आंकड़े शामिल ह।

4. उपयुक्त उपयोग संबंधी आंकड़े राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा दी गई रिपोट के अनुसार ह और इनम 31-03-2019 तक अद्यतन किए गए कद्र द्वारा जारी, राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष के सापेक्ष हुए व्यय भी शामिल ह।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए सीएचसी और पीएचसी हेतु एनयूएचएम के तहत अनुमोदित निधियों का विवरण

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		सीएचसी	पीएचसी	सीएचसी	पीएचसी	सीएचसी	पीएचसी
क. उच्च फोकस वाले राज्य							
1	बिहार	0.00	21.00	0.00	106.50	0.00	318.85
2	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	72.25	15.00	77.25
3	हिमाचल प्रदेश	40.50	0.00	0.00	49.00	0.00	22.00
4	जम्मू और कश्मीर	0.00	42.88	0.00	67.75	0.00	67.75
5	झारखंड	18.00	188.00	0.00	0.00	15.00	64.25
6	मध्य प्रदेश	0.00	153.00	1375.00	233.00	0.00	359.50
7	ओडिशा	518.95	1013.34	194.49	457.42	49.09	137.00
8	राजस्थान	1715.00	1393.75	1034.70	482.98	55.00	373.68
9	उत्तर प्रदेश	283.31	522.21	137.50	0.00	407.60	466.33
10	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
	उप कुल	2575.76	3334.18	2741.69	1468.90	541.69	1894.86
ख. पूर्वोत्तर राज्य							
11	अरुणाचल प्रदेश	0.00	49.62	0.00	146.03	0.00	5.25
12	असम	0.00	57.18	10.00	130.13	10.00	175.25
13	मणिपुर	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	7.00
14	मेघालय	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
15	मिजोरम	0.00	100.25	0.00	111.00	0.00	95.75
16	नगालड	0.00	95.00	0.00	5.00	0.00	6.00
17	सिक्किम	0.00	25.00	0.00	1.75	0.00	1.75
18	त्रिपुरा	0.00	12.25	0.00	167.50	0.00	12.25
	उप कुल	0.00	348.30	10.00	573.01	10.00	303.25
ग. गैर-उच्च फोकस वाले राज्य							
19	आंध्र प्रदेश	0.00	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20	गोवा	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.20
21	गुजरात	16.25	470.00	30.00	1039.00	10.50	540.50
22	हरियाणा	12.00	65.45	12.00	72.00	12.00	84.25
23	कनाटक	179.60	4261.71	137.50	1246.25	145.00	380.00
24	केरल	0.00	197.50	0.00	145.25	0.00	188.25
25	महाराष्ट्र	37.00	3325.00	5.00	2642.00	77.50	791.00
26	पंजाब	1015.00	138.00	0.00	0.00	55.00	206.00
27	तमिलनाडु	1695.00	1062.75	637.50	2203.25	675.00	745.10
28	तेलंगाना	100.00	1046.25	0.00	368.50	5.00	367.75
29	पश्चिम बंगाल	0.00	1135.00	0.00	591.38	0.00	2911.95
	उप कुल	3054.85	12048.76	822.00	8309.23	980.00	6216.00
घ. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00	8.75
31	चंडीगढ़	10.00	5.25	15.52	0.00	10.00	5.25
32	दादरा और नगर हवेली	0.00	7.98	0.00	1.92	0.00	1.92

33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	दिल्ली	160.00	131.50	135.00	120.50	145.00	125.50
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुदुच्चेरी	0.00	5.00	0.00	23.00	0.00	3.00
	उप कुल	170.00	158.48	150.52	154.17	155.00	144.42
	कुल योग	5800.61	15889.72	3724.21	10505.31	1686.69	8558.53

2. एसपीआईपी का अथ है राज्य कायक्रम कायान्वयन योजना।

3. उपयुक्त आंकड़ों म सीएचसी और पीएचसी के तहत नए निमाण, नवीकरण और स्थापना और शत रहित अनुदान संबंधी आंकड़े शामिल ह।

4. उपयुक्त उपयोग संबंधी आंकड़े राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा दी गई रिपोट के अनुसार ह और इनम 31-03-2019 तक अद्यतन किए गए कद्र द्वारा जारी, राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष के सापेक्ष हुए व्यय भी शामिल ह।

प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों म चिकित्सक+						
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	(31माच, 2018 तक)				
		अपेक्षित[1]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[R]	[S]	[P]	[S-P]	[R-P]
1	आंध्र प्रदेश	1147	2267	2045	222	*
2	अरुणाचल प्रदेश	143	NA	125	NA	18
3	असम	946	NA	1376	NA	*
4	बिहार #	1899	2078	1786	292	113
5	छत्तीसगढ़	793	793	359	434	434
6	गोवा	25	48	56	*	*
7	गुजरात	1474	1865	1321	544	153
8	हरियाणा	368	551	491	60	*
9	हिमाचल प्रदेश	576	636	622	14	*
10	जम्मू और कश्मीर	637	1347	694	653	*
11	झारखंड	298	556	340	216	*
12	कनाटक	2359	2359	2136	223	223
13	केरल	849	1120	1169	*	*
14	मध्य प्रदेश	1171	1771	1112	659	59
15	महाराष्ट्र	1823	3009	2929	80	*
16	मणिपुर	91	238	194	44	*
17	मेघालय ##	108	128	130	*	*
18	मिजोरम ###	57	152	59	93	*
19	नगालड	126	108	118	*	8
20	ओडिशा	1288	1326	917	409	371
21	पंजाब	432	593	480	113	*
22	राजस्थान	2078	2751	2396	355	*
23	सिक्किम	24	NA	24	NA	0
24	तमिलनाडु	1421	3136	2780	356	*
25	तेलंगाना	643	1254	1066	188	*
26	त्रिपुरा	108	0	119	*	*
27	उत्तराखंड	257	425	241	184	16
28	उत्तर प्रदेश	3621	4509	1344	3165	2277
29	पश्चिम बंगाल	913	1268	1016	252	*
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22	42	34	8	*
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	डी एंड एन हवेली	9	15	8	7	1
33	दमन और दीव	4	5	4	1	0
34	दिल्ली	5	21	22	*	*
35	लक्षद्वीप	4	8	8	0	*
36	पुदुच्चेरी	24	38	46	*	*
	अखिल भारतीय 2 / कुल	25743	34417	27567	8572	3673

नोट: # वष 2011 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

वष 2015 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

वष 2013-14 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

NA: उपलब्ध नहों

+: एलोपैथिक चिकित्सक

रिक्ति और कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्य वार रिक्ति और कमी के कुल आंकड़े ह जिनम कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म सरप्लस को नजरअंदाज कर दिया गया है।

1. आईपीएचएस मानकों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य कद्र पर एक ।

अनुलग्नक-V

सीएचसी म फिजीशिअन						
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	(31 माच, 2018 के अनुसार)				
		अपेक्षित[2]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[R]	[S]	[P]	[S-P]	[R-P]
1	आंध्र प्रदेश	193	65	52	13	141
2	अरुणाचल प्रदेश	63	NA	1	NA	62
3	असम	172	NA	7	NA	165
4	बिहार	150	NA	8	NA	142
5	छत्तीसगढ़	169	163	13	150	156
6	गोवा	4	1	2	*	2
7	गुजरात	363	363	9	354	354
8	हरियाणा	113	9	1	8	112
9	हिमाचल प्रदेश	91	NA	2	NA	89
10	जम्मू और कश्मीर	84	107	86	21	*
11	झारखंड	171	171	22	149	149
12	कनाटक	206	206	106	100	100
13	केरल	227	2	2	0	225
14	मध्य प्रदेश	309	309	45	264	264
15	महाराष्ट्र	361	153	45	108	316
16	मणिपुर	23	1	1	0	22
17	मेघालय	28	0	7	*	21
18	मिजोरम #	9	5	0	5	9
19	नगालड	21	NA	1	NA	20
20	ओडिशा	377	382	37	345	340
21	पंजाब	151	140	22	118	129
22	राजस्थान	588	665	208	457	380
23	सिक्किम	2	NA	0	NA	2
24	तमिलनाडु	385	NA	25	NA	360
25	तेलंगाना	91	71	21	50	70
26	त्रिपुरा	22	0	0	0	22
27	उत्तराखंड	67	69	11	58	56
28	उत्तर प्रदेश	822	523	28	495	794
29	पश्चिम बंगाल	348	95	42	53	306
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	3	0	3	4
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	डी एंड एन हवेली	2	0	0	0	2
33	दमन और दीव	2	0	0	0	2
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	3	0	0	0	3
36	पुदुच्चेरी	3	1	1	0	2
	अखिल भारतीय / कुल	5624	3504	805	2751	4821

नोट :

राज्य म कुल 5 फिजीशिअन संस्वीकृत किए गए ह।

रिक्ति और कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्य वार रिक्ति और कमी के कुल आंकड़े ह जिनम कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म सरप्लस को नजरअंदाज कर दिया गया है।

*: सरप्लस

2 आईपीएचएस मानकों के अनुसार प्रति सामुदायिक सवास्थ्य कद्र पर एक

NA: उपलब्ध नहों ।

सीएचसी म कुल विशेषज्ञ						
कुल विशेषज्ञ [सजन, ओबीएंडजीवाई, फिजीशिअन और बाल रोग विशेषज्ञ]						
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	(31 माच, 2018 तक)				
		अपेक्षित[3]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[R]	[S]	[P]	[S-P]	[R-P]
1	आंध्र प्रदेश	772	533	384	149	388
2	अरुणाचल प्रदेश	252	NA	4	NA	248
3	असम	688	NA	158	NA	530
4	बिहार	600	NA	82	NA	518
5	छत्तीसगढ़	676	652	57	595	619
6	गोवा	16	5	10	*	6
7	गुजरात	1452	1177	118	1059	1334
8	हरियाणा	452	59	17	42	435
9	हिमाचल प्रदेश	364	NA	4	NA	360
10	जम्मू और कश्मीर	336	344	256	88	80
11	झारखंड	684	684	92	592	592
12	कनाटक	824	824	498	326	326
13	केरल	908	30	40	*	868
14	मध्य प्रदेश	1236	1236	248	988	988
15	महाराष्ट्र	1444	823	485	338	959
16	मणिपुर	92	4	3	1	89
17	मेघालय	112	3	9	*	103
18	मिजोरम	36	33	0	33	36
19	नगालड	84	NA	8	NA	76
20	ओडिशा	1508	1529	253	1276	1255
21	पंजाब	604	593	105	488	499
22	राजस्थान	2352	1731	565	1166	1787
23	सिक्किम	8	NA	0	NA	8
24	तमिलनाडु	1540	NA	210	NA	1330
25	तेलंगाना	364	320	112	208	252
26	त्रिपुरा	88	0	2	*	86
27	उत्तराखंड	268	268	29	239	239
28	उत्तर प्रदेश	3288	2099	192	1907	3096
29	पश्चिम बंगाल	1392	669	125	544	1267
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16	9	0	9	16
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	डी एंड एन हवेली	8	0	0	0	8
33	दमन और दीव	8	6	3	3	5
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
36	पुदुच्चेरी	12	4	5	*	7
	अखिल भारतीय 2 / कुल	22496	13635	4074	10051	18422

नोट *NA:* उपलब्ध नहीं

आईपीएचएस मानकों के अनुसार प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य कद्र पर चार

रिक्ति और कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्य वार रिक्ति और कमी के कुल आंकड़े ह जिनम कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म सरप्लस को नजरअंदाज कर दिया गया है।

*: सरप्लस

पीएचसी और सीएचसी म फामासिस्ट						
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	(31 माच, 2018 को स्थिति के अनुसार)				
		अपेक्षित[4]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[R]	[S]	[P]	[S-P]	[R-P]
1	आंध्र प्रदेश	1340	1384	1004	380	336
2	अरुणाचल प्रदेश	206	NA	89	NA	117
3	असम #	1118	1284	1735	*	*
4	बिहार ##	2049	989	287	702	1762
5	छत्तीसगढ़	962	1107	936	171	26
6	गोवा	29	48	53	*	*
7	गुजरात	1837	1847	1584	263	253
8	हरियाणा	481	504	397	107	84
9	हिमाचल प्रदेश	667	594	378	216	289
10	जम्मू और कश्मीर	721	1137	974	163	*
11	झारखंड	469	469	241	228	228
12	कनाटक	2565	2674	2523	151	42
13	केरल	1076	1036	1102	*	*
14	मध्य प्रदेश	1480	1905	1778	127	*
15	महाराष्ट्र	2184	2355	2055	300	129
16	मणिपुर	114	145	152	*	*
17	मेघालय $	136	135	149	*	*
18	मिजोरम ^	66	99	53	46	13
19	नगालड	147	135	116	19	31
20	ओडिशा	1665	1741	1623	118	42
21	पंजाब	583	841	790	51	*
22	राजस्थान	2666	1127	1172	*	1494
23	सिक्किम	26	NA	11	NA	15
24	तमिलनाडु	1806	2656	2097	559	*
25	तेलंगाना	734	763	700	63	34
26	त्रिपुरा	130	0	133	*	*
27	उत्तराखंड	324	408	282	126	42
28	उत्तर प्रदेश	4443	5697	4717	980	*
29	पश्चिम बंगाल	1261	1459	1422	37	*
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	26	53	49	4	*
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	डी एंड एन हवेली	11	10	12	*	*
33	दमन और दीव	6	16	9	7	*
34	दिल्ली	5	6	4	2	1
35	लक्षद्वीप	7	16	16	0	*
36	पुदुच्चेरी	27	42	37	5	*
	अखिल भारतीय / कुल	31367	32682	28680	4825	4938

4 आईपीएचएस मानकों के अनुसार प्रति पीएचसी और सीएचसी पर एक

रिक्ति और कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्य वार रिक्ति और कमी के कुल आंकड़े ह जिनम कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म सरप्लस को नजरअंदाज कर दिया गया है।

*: सरप्लस

NA: उपलब्ध नहों

नोट: # वष 2013 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

वष 2011 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

$ वष 2015 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

^ राज्य म कुल 99 फामासिस्ट संस्वीकृत ह।

पीएचसी और सीएचसी म लैब तकनीशियन						
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	(31 माच, 2018 तक)				
		अपेक्षित[5]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[R]	[S]	[P]	[S-P]	[R-P]
1	आंध्र प्रदेश	1340	1185	789	396	551
2	अरुणाचल प्रदेश	206	NA	123	NA	83
3	असम #	1118	860	1390	*	*
4	बिहार ##	2049	683	611	72	1438
5	छत्तीसगढ़	962	1063	823	240	139
6	गोवा	29	40	40	0	*
7	गुजरात	1837	1837	1658	179	179
8	हरियाणा	481	504	356	148	125
9	हिमाचल प्रदेश	667	300	131	169	536
10	जम्मू और कश्मीर	721	826	798	28	*
11	झारखंड	469	640	264	376	205
12	कनाटक	2565	1790	1532	258	1033
13	केरल	1076	324	365	*	711
14	मध्य प्रदेश	1480	1808	1238	570	242
15	महाराष्ट्र	2184	1474	1296	178	888
16	मणिपुर	114	102	70	32	44
17	मेघालय $	136	118	155	*	*
18	मिजोरम ^	66	92	83	9	*
19	नगालड	147	72	87	*	60
20	ओडिशा	1665	497	567	*	1098
21	पंजाब	583	616	585	31	*
22	राजस्थान	2666	3644	2091	1553	575
23	सिक्किम	26	NA	21	NA	5
24	तमिलनाडु	1806	2222	967	1255	839
25	तेलंगाना	734	749	597	152	137
26	त्रिपुरा	130	0	105	*	25
27	उत्तराखंड	324	135	78	57	246
28	उत्तर प्रदेश	4443	2054	1644	410	2799
29	पश्चिम बंगाल	1261	966	874	92	387
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	26	23	19	4	7
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	डी एंड एन हवेली	11	7	17	*	*
33	दमन और दीव	6	9	5	4	1
34	दिल्ली	5	5	4	1	1
35	लक्षद्वीप	7	13	13	0	*
36	पुदुच्चेरी	27	10	38	*	*
	अखिल भारतीय / कुल	31367	24668	19434	6214	12354

नोट:

वष 2013 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

वष 2011 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

$ वष 2015 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

5 आईपीएचएस मानकों के अनुसार प्रति पीएचसी और सीएचसी पर एक

रिक्ति और कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्य वार रिक्ति और कमी के कुल आंकड़े ह जिनम कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म सरप्लस को नजरअंदाज कर दिया गया है।

*: सरप्लस

पीएचसी और सीएचसी म नर्सिग स्टाफ						
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	(31 माच, 2018 तक)				
		अपेक्षित[1]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[R1]	[S]	[P]	[S-P]	[R1-P]
1	आंध्र प्रदेश	2498	4518	3505	1013	*
2	अरुणाचल प्रदेश	584	NA	498	NA	86
3	असम #	2150	2798	3203	*	*
4	बिहार ##	2949	1662	1211	451	1738
5	छत्तीसगढ़	1976	2809	2458	351	*
6	गोवा	53	126	146	*	*
7	गुजरात	4015	4391	3160	1231	855
8	हरियाणा	1159	1894	1797	97	*
9	हिमाचल प्रदेश	1213	837	452	385	761
10	जम्मू और कश्मीर	1225	1710	1405	305	*
11	झारखंड	1495	2179	1182	997	313
12	कनाटक	3801	2667	3339	*	462
13	केरल	2438	3610	3969	*	*
14	मध्य प्रदेश	3334	4624	3308	1316	26
15	महाराष्ट्र	4350	3218	2296	922	2054
16	मणिपुर	252	484	400	84	*
17	मेघालय $	304	413	596	*	*
18	मिजोरम ^	120	570	198	372	*
19	नगालड	273	175	394	*	*
20	ओडिशा	3927	1666	2327	*	1600
21	पंजाब	1489	2189	2029	160	*
22	राजस्थान	6194	12712	9887	2825	*
23	सिक्किम	38	NA	48	NA	*
24	तमिलनाडु	4116	7963	6360	1603	*
25	तेलंगाना	1280	2208	2027	181	*
26	त्रिपुरा	262	0	581	*	*
27	उत्तराखंड	726	623	359	264	367
28	उत्तर प्रदेश	9375	17974	20546	*	*
29	पश्चिम बंगाल	3349	6981	6464	517	*
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	50	138	129	9	*
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	डी एंड एन हवेली	23	14	45	*	*
33	दमन और दीव	18	64	49	15	*
34	दिल्ली	5	5	6	*	*
35	लक्षद्वीप	25	54	54	0	*
36	पुदुच्चेरी	45	131	139	*	*
	अखिल भारतीय / कुल	65111	91407	84567	13098	8262

नोट:

वष 2013 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

वष 2011 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

$ वष 2015 के लिए संस्वीकृत डाटा का प्रयोग

^ राज्य म कुल 570 नर्सिग स्टाफ संस्वीकृत ह।

1 आईपीएचएस मानकों के अनुसार प्रति पीएचसी एक और प्रति सीएचसी सात

रिक्ति और कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्य वार रिक्ति और कमी के कुल आंकड़े ह जिनम कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म सरप्लस को नजरअंदाज कर दिया गया है।

*: सरप्लस

NA: उपलब्ध नहीं।

□□□ग□□-X

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	एचडब्ल्यूसी प्रचालनरत
		□□
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30
2	आंध्र प्रदेश	2106
3	अरुणाचल प्रदेश	54
4	असम	935
5	बिहार	600
6	चंडीगढ़	10
7	छत्तीसगढ़	793
8	दादरा और नगर हवेली	31
9	दमन और दीव	23
10	दिल्ली	0
11	गोवा	5
12	गुजरात	1628
13	हरियाणा	452
14	हिमाचल प्रदेश	17
15	जम्मू और कश्मीर	231
16	झारखंड	364
17	कनाटक	706
18	केरल	673
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	227
21	महाराष्ट्र	2479
22	मणिपुर	65
23	मेघालय	7
24	मिजोरम	4
25	नगालड	46
26	ओडिशा	1001
27	पुदुच्चेरी	17
28	पंजाब	848
29	राजस्थान	535
30	सिक्किम	29
31	तमिलनाडु	1572
32	तेलंगाना	1120
33	त्रिपुरा	71
34	उत्तर प्रदेश	2071
35	उत्तराखंड	133
36	पश्चिम बंगाल	399
कुल एचडब्ल्यू□□ प्र□□□□□		19282

स्रोत: एचडब्ल्यूसी *पोर्टल*